रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14082021-229004
CG-DL-W-14082021-229004

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] **नई दिल्ली, अगस्त 1 - अगस्त 7, 2021, शनिवार/ श्रावण 10 - श्रावण 16, 1943**
No. 26] **NEW DELHI, AUGUST 1 - AUGUST 7, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 10 - SRAVANA 16, 1943**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 88.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय में वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर लिया गया है, या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, **2021** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से स्तंभ **(4)** में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से स्तंभ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	*01 (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67,700-2,08,700/- रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)/प्रोन्नति]

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] केन्द्रीय/राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक में स्तर 10 (56100-177500 रु0) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर की डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर/सूचना प्रौद्योगिकी; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इजीनियरिंग मे स्नातक या तकनीकी में स्नातक; और (iii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यक्रमण या सूचना तंत्र के क्रमादेशन और सूचना प्रणाली, (डिजाइन, कंप्यूटरीकृत सूचना संग्रह और पुनः प्राप्ति प्रणाली के विकास एवं संचालित करने) में पाँच वर्ष का कार्यानुभव। **टिप्पण 1** : ऐसे विभागीय प्रणाली विश्लेषक, जिन्होंने वेतन स्तर में स्तर-10 (56100-177500) की उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/01/2016- प्रशा. 1]

सर्वेश कुमार आर्य, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(RASHTRAPATI BHAVAN)

New Delhi, the 28th July, 2021

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat Senior System Analyst, Recruitment Rules, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sr. System Analyst in the Cabinet Secretariat, namely: -

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat Sr. System Analyst, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Economically weaker sections, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sr. System Analyst.	* 01 (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67,700– 2,08,700/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Composite Method [Deputation (including short-term contract)/promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite Method [Deputation (including short-term contract) plus Promotion]: Officers under the Central or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government Statutory or Autonomous Organisations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years’ regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following Educational Qualifications and experience: (i) Master’s Degree in Computer Applications or Master of Science	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

(Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; Or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; and (iii) five years post qualification experience of Programming or Information System (in design, development and organising computerised information storage and retrieval system) in a Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. **Note 1:** The Departmental System Analyst in level – 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled up by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/2016-Ad.I.]

SARWESH KUMAR ARYA, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

सा.का.नि.89.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में **कंप्यूटर ऑपरेटर** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल कंप्यूटर ऑपरेटर, (समूह-ख) भर्ती नियम, 2021है।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**कोई ऐसा व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके एवं संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति.—**केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कंप्यूटर ऑपरेटर	03* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स स्तर -6 (रु.35,400 -1,12,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद अधीन करते हों; या (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर —5 (रु. 29,200-92,300/-) या समतुल्य में नियुक्ति पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) ईडीपी अथवा नेटवर्किंग में दो वर्षों का अनुभव । **टिप्पण 1.** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23011/178/2016-पीटी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th August, 2021

G.S.R. 89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Computer Operator in Central Academy for Police Training, Bhopal under Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal, Computer Operator (Group-B), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule hereto annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Computer Operator	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	level - 6 (Rs. 35,400-1,12,400/-)	Not Applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers under the Central or State Government or Union territories. (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level-5 (Rs. 29200-92300/-) or equivalent in parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience. (i) Bachelors degree in Computer Application or Information Technology or Computer Science from recognized university; (ii) Two years’ experience in EDP or Networking.	Not Applicable	Consultation with the commission is not necessary.

Note 1. - The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/178/2016-PT]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, प्लवमान कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 को, जहां तक उनका संबंध इंजन चालक वर्ग -II के पद से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में इंजन चालक वर्ग –II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, इंजन चालक वर्ग – II, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2) **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3) **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4) **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद नियुक्ति पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5) **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्धारा शिथिल कर सकेगी।

6) **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्धारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्ड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इंजन चालक वर्ग -**II**	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय **।**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्धारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयुसीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंदमान और निकाबार द्धीप या लक्षद्धीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** – रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगी	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्धारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्धारा या विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मैटिकुलेशन उत्तीर्ण। (ii) वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग द्धारा जारी किए गए मत्स्य जलयान इंजन चालक के रूप में सक्षमता का प्रमाण पत्र। **वांछनीय :** केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान से अठारह मास का मत्स्य जलयान इंजन चालक पाठ्यक्रम या दो वर्ष का समुद्री फिटर पाठ्यक्रम।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। **टिप्पण :** परिविक्षा का अंतराल दो सप्ताह की अवधी के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के आध्यधीन है।	**सीधी भर्ती द्धारा।** **टिप्पण 1:**– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4

			(2500-81100 रु.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो। (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हो। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान – अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई – सदस्य; 3. उप-निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विभाग –सदस्य; और 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.3-22/2020-प्रशा.V.]

खाम खान सुआन,अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 5th August, 2021

G.S.R. 90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin Floating Staff (Group `C` posts) Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Engine Driver Class – II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Engine Driver Class – II in the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi, under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Engine Driver Class – II, (Group `C` Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications. - No Person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Engine Driver Class-II	02*(2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group ‘C’, Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note:2:** The crucial date of determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Matriculation pass. (ii)Certificate of competency as Engine Driver Fishing vessel issued by the Mercantile Marine Department. **Desirable**: Eighteen months' Engine Driver Fishing vessel Course or two years' Marine Fitter Course from Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training.	Not applicable	Two years. **Note:** Clearance of probation is subject to successful completion of training of two weeks duration.	Direct recruitment. **Note1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in post in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100). (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2**: The maximum age for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1.Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training - Chairman; 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Chennai - Member; 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training- Vizag – Member; and 4 Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training – Member.	Not applicable.

[F.No. 3-22/2020-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हारवेस्ट प्रौधोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि निदेशक (समुह क) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

(2) पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(6) व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्धारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 12 (78,800- 2,09,200 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिश्रित पद्धति, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति

प्रान्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रान्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचन	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रान्नति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषदों या अर्धसरकारी स्वायत या कानूनी संगठनों के अधिकारी :- (अ)(i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण करते हों : या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हों, और (ब) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : **आवश्यक :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राणिविज्ञान या समुद्रीय जीव विज्ञान या समुद्र विज्ञान या औद्योगिक मत्स्यपालन या मत्स्यपालन विज्ञान या रसायन विज्ञान या जैव खाध प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान, मुंबई या समतुल्य से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ii) संबद्ध क्षेत्र में प्रबंधकीय हैसियत में पांच वर्ष प्रशासक अनुभव सहित प्रसंस्करण मत्स्य संयंत्र में मत्स्य प्रौद्योगिकी या मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में सात वर्ष का अनुभव रखते हों। **वांछनीय :**मत्स्य प्रसंस्करण प्रौधोगिकी और क्वालिटी आश्वासन में वाचस्प्रति पद। **टिप्पण 1 –** वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 (67,700-2,08,700 रु.) में विभागीय उपनिदेशक (प्रसंस्करण और विपणन) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हों और (ख) (i) पर अर्हताएं रखते हों। बाह्य व्यक्तियों के साथ भी विचार किया जाएगा और इस मामले में पद की नियुक्ति के लिए उसका चयन किया जाता है वो प्रोन्नति से भरा समझा जाएगा। **टिप्पण 2 –** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 –** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 –** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 5-4/2021-प्रशा.V.]

खाम खान सुआन, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2021

G.S.R. 91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Ministry of Agriculture, the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Director Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi, Director (Group 'A') Recruitment Rules,2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officia1Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method ofrecruitment, age-limit and other qualification, etc**. **.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating hereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No Person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category ofpersons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director	*1 (2021) Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 in pay matrix. (Rs.78,800-2,09,200)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite Method : Deputation (including short-term contract) plus promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion / deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Composite method: Deputation (Including short-term contract) plus promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administration or Agricultural Universities or recognized research Institutes or Councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** (i) post graduate Degree in Zoology or Marine Biology or Oceanography or Industrial Fisheries or Fisheries Science or Chemistry or Bio-Chemistry or Food Technology of a recognized University or Institute or equivalent; or post graduate Diploma in fisheries Science from	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Central Institute of Fisheries Education, Mumbai or equivalent; and (ii) possessing seven years experience in Fish Processing or Fish Processing Technology in Fish Processing Plant including five years administrative experience in a Managerial capacity in the concern field. **Desirable:** Doctorate in philosophy in fish processing technology and quality assurance. **Note 1.-** The Departmental Deputy Director (Processing and Marketing) in level 11 (Rs.67,700/--2,08,700/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing qualifications at (b) (i) shall also be considered alongwith the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled on promotion. **Note 2.-**The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 4.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of a applications.		

[F.No. 5-4/2021-Admn.V]

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.14 12:10:33 +05'30'